वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा

संख्या 1116 /व.ग्रा.वि./2003   देहरादून 23/8/2003

1. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तरांचल
2. प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल वन विकास निगम
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल एवं कुमायूं
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तरांचल
5. वन संरक्षक, कार्ययोजना एवं परियोजना प्रबन्धन इकाई, वन विभाग, नैनीताल
6. समस्त जिला अधिकारी, उत्तरांचल
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल
8. डा. जे.एस.रावत, निदेशक, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर
9. श्री एस.के.चन्दोला, वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, औषधीय एवं सगन्ध पादप
10. श्री जे.एस.सुहाग, वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन पंचायत
11. निबन्धक, सहकारिता,
12. मुख्य भेषज विशेषज्ञ, सहकारिता
13. समस्त सचिव, जिला भेषज संघ, उत्तरांचल

विषय : औषधीय एवं सगन्ध पादपों का संरक्षण, विकास व विदोहन (CDH: Conservation Development and Harvesting) – उत्तरांचल के प्रत्येक वन प्रभाग व संयुक्त विदोहन दल (Joint Harvesting Team) हेतु योजना.

प्रिय महोदय,

1. प्राकृतिक क्षेत्रों से औषधीय एवं सगन्ध पादपों का वैज्ञानिक विधि से संरक्षण, विकास व विदोहन सरकार के लिए प्रारम्भ से ही प्राथमिकता का विषय रहा है परन्तु इस व्यवसाय को न तो मुख्य रूप से राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने व न ही ग्रामीण लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने से जोड़ा गया. अतः यह क्षेत्र लगभग नगण्य सा रहा. औषधीय एवं सगन्ध पादपों के संरक्षण व समग्र विकास को त्वरित गति से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्रदान करने के लिए भारत सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन भारतीय चिकित्सा पद्धति व होम्योपैथी विभाग (ISM & H) के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर "राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड" का गठन किया गया है. साथ ही उत्तरांचल राज्य में उद्यान विभाग के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है. जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर इस बोर्ड की शीर्ष क्रियान्वयन संस्था के रूप में कार्यरत है जिसकी एक शाखा सेलाकुई, देहरादून में सगन्ध पादपों के विकास के लिए समर्पित है. इस प्रकार औषधीय एवं सगन्ध पादपों के समग्र विकास के लिए सामान्य रूप से सम्पूर्ण राज्य में व विशेष रूप से वन विभाग में विशेष रुचि पैदा हुई है.
2. उपरोक्त संस्थाओं के गठन के साथ-साथ अन्य विभागों के द्वारा भी कई गतिविधियों को प्रारम्भ किया गया है. उदाहरण के तौर पर उद्यान विभाग ने एपीडा के सहयोग से राज्य के सात जिलों को जड़ी बूटी निर्यात क्षेत्र (Herbal Export Zone) के रूप में घोषित किया है जहाँ उत्पन्न नवीनतम प्रजातियों को प्रसंस्कृत कर अन्तिम उत्पाद को निर्यात किया जायेगा. राज्य उद्योग विभाग ने भी नई औद्योगिक नीति घोषित की है जिसके तहत राष्ट्रीय व

अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को राज्य में जड़ी बूटी के क्षेत्र में निवेश करने का सुनहरा मौका मिल रहा है. एच.आर.डी.आई., गोपेश्वर द्वारा सीमैप, लखनऊ व भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिक विभाग की संस्था टाईफैक के साथ मिल कर राज्य में जीरेनियम का व्यापक स्तर पर कृषिकरण की योजना तैयार की है जिसके तहत विभिन्न क्षेत्रों में तीन प्रसंस्करण संयन्त्र स्थापित किये जायेंगे. इस योजना में उत्तरांचल वन विकास निगम (UFDC) तथा वन पंचायतों, जिनको प्रत्येक राजस्व गाँव स्तर पर स्थापित किया जायेगा (वर्तमान में 7500 वन पंचायतें कार्यरत हैं), की अहम भूमिका रहेगी. वन विकास निगम स्वयं चार प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करेगा. जीरेनियम विस्तारीकरण के साथ–साथ प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या भी बढ़ाई जायेगी. वन विकास निगम की वनस्पति वन योजना की स्वीकृति पूर्व में ही मिल चुकी है जिसके तहत मुनि की रेती, ऋषिकेश में एक हर्बल गार्डन व ऋषिकेश में एक केन्द्रीय पौधशाला की स्थापना की जा रही है. इसके साथ–साथ वनस्पति वन योजना के अन्तर्गत चकरौता के देववन रेंज को औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (MPCA) के रूप में विकसित किया जा रहा है. सभी 40 प्रभागों द्वारा राज्य में औषधीय एवं सगन्ध पादपों की पौधशालायें विकसित करनी प्रारम्भ कर दी हैं जिसकी संख्या बढ़ती जा रही है. इससे बहुत जल्दी औषधीय व सगन्ध पादपों के लिए बाजार की आवश्यकता होगी. वन विकास निगम स्वयं व संयुक्त रूप से प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करेगा जिससे उत्पादित जड़ी बूटियों को बाजार उपलब्ध होगा. अन्तर्राष्ट्रीय संस्था IDRC, कनाडा राज्य में कार्बनिक / वानस्पतिक रंग रोगन के निर्माण के लिए परियोजना स्वीकृत करने के लिए सहमत हो गया है. इस परियोजना के तहत वन आधारित उद्योग, जो सम्पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होगा, स्थापित किया जायेगा. पर्यावरण व वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत व FRLHT, बैंगलोर द्वारा समन्वित जैफ (Global Environment Facility) के तहत औषधीय पादपों के विकास के लिए राज्य से 47 करोड़ रुपये की परियोजना वित्तीय स्वीकृति के लिए जमा की गई है. हे.न.ब. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल की संस्था HAPPRC के द्वारा अभी तक अनुसंधान व विकास कर 10 उच्च शिखरीय औषधीय प्रजातियों की कृषि तकनीक विकसित की है जो बहुत जल्दी प्रकाशित होने वाली है. इसकी अग्रिम प्रति पहले ही वितरित की जा चुकी है.

3. केन्द्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने वन विकास निगम को 2 वृहद प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रस्तावित की है. जिसमें से एक कुमायूँ तथा दूसरी गढ़वाल में स्थापित की जायेगी. यह दोनों इकाईयां निगम द्वारा जिरेनियम के व्यापक कृषिकरण योजना के तहत स्थापित की जाने वाली चार इकाईयों के अतिरिक्त है. यह दोनों इकाईयां लगभग 30 लाख रुपया प्रति इकाई लागत की होगी. एक समय में एक टन क्षमता की प्रसंस्करण इकाई की कीमत लगभग 70–80 हजार रुपये तक होती है.

4. – औषधीय एवं सगन्ध पादपों के संरक्षण, विकास व विदोहन से सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित विकास कार्यों का सम्पादन सुनियोजित रणनीति के तहत ही सम्भव हो पाया है. जब औषधीय एवं सगन्ध पादपों की जानकारी बहुत कम थी, के समय में प्रभागीय विदोहन समिति गठित की गई थी जिसको पुनर्गठित किया जा रहा है. यह समिति प्रमुख भेषज, जड़ी बूटी व सगन्ध पादपों के विकास के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगी. इसकी प्रथम बैठक इसी माह में सम्पन्न कराई जायगी. निम्न अनुच्छेद में भविष्य में सम्पादित किये जाने वाले कार्य बिन्दुओं का वर्णन किया गया है जिनका प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी व वन संरक्षक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है.

संरक्षण, विकास व विदोहन योजना :

5. जैविक विविधता से परिपूर्ण उत्तरांचल राज्य में विकास के लिए जड़ी बूटी क्षेत्र के यह तीनों पहलुओं अत्यन्त महत्वपूर्ण है. औषधीय एवं सगन्ध पादपों के संरक्षण, विकास व विदोहन की योजना तैयार करते समय प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी निम्न बातों पर अमल करेंगे :

5.1 प्रत्येक वन प्रभाग के रेंज स्तर पर सर्वेक्षण कर रेंज में पाई जाने वाली (Endemic) औषधीय एवं सगन्ध पादपों की प्रजातियों की सूची तैयार कर ली जाये. सर्वेक्षण पूर्णतया वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों की उपस्थिति में हो. इस हेतु एच.आर.डी.आई., गोपेश्वर, हापार्क, श्रीनगर गढ़वाल, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून, भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, गो.ब.पन्त हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कटारमल कोसी, स्वयं सेवी संस्थाओं, गढ़वाल व कुमायूं विश्वविद्यालय आदि से सहयोग लिया जा सकता है. इस कार्य के लिए धनराशि फोरेस्ट गार्ड/ स्टाफ के प्रशिक्षण मद, वन विकास ऐजेन्सी परियोजना, अथवा वाह्य रूप से सहायित परियोजनाओं जैसे शिवालिक हिल्स – II आदि से प्राप्त किया जा सकता है.

5.2 इस त्वरित नक्शाकरण कार्य (RME : Rapid Mapping Exercise) में रेंज के किस हिस्से में कौन सी प्रजाति प्राकृतिक रूप से पनप रही है, का भी विस्तार से वर्णन होना चाहिए. प्रत्येक हिस्से को रेंज व प्रकोष्ठ सहित जिससे जगह को आसानी से पहचाना जा सके, सूचीबद्ध कर क्षेत्र को औषधीय व सगन्ध पादप प्रकोष्ठ (पूर्ण व आंशिक) घोषित किया जायेगा. तत्पश्चात यह प्रकोष्ठ नाम व विवरण के आधार पर औषधीय एवं सगन्ध पादप संरक्षण प्रकोष्ठ के नाम से जाना जायेगा. यह परिवर्तन अधिकारिक कार्ययोजना (Working Plan) में भी आ जाना चाहिए. प्रत्येक वन प्रभाग प्रत्येक रेंज में एक प्रकोष्ठ को औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र के रूप में घोषित करेगा. इस प्रकार प्रत्येक वन प्रभाग के पास कहीं भी 6–7 औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र (MPCA) विधिवत रूप से घोषित होने चाहिए. अतः इन औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों को जीन पूल बैंक के रूप में विकसित किये जाने में विशेष सावधानी रखनी होगी. प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी भी इन क्षेत्रों के भ्रमण की योजना रखेंगे जिसमें प्रजातियों की पहचान रखने वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे. इन विशेषज्ञों का नाम प्रो. ए. एन.पुरोहित, एम.एस. भारतीय येलर, एच.आर.डी.आई., गोपेश्वर द्वारा अग्रसारित किया जायेगा. इन विशेषज्ञों की राय प्रत्येक नई कार्ययोजना में शामिल की जायेगी. जिस प्रभाग में कार्ययोजना तैयार की जा रही है, कार्ययोजना अधिकारी यही विधि अपनायेंगे तथा प्रभाग की नई कार्ययोजना में औषधीय व सगन्ध पादप विकास पर पृथक से एक पाठ शामिल करेंगे. इस कार्य की सुनिश्चितता कार्ययोजना सर्किल के वन संरक्षक खुद करेंगे.

5.3 त्वरित नक्शाकरण कार्य के दौरान, जैसा कि अनुच्छेद 5.1 एवं 5.2 में वर्णन किया गया है, अन्य वन प्रकोष्ठ को, जो औषधीय एवं सगन्ध पादप संरक्षण क्षेत्र के अतिरिक्त होगा, रेंज स्तर पर औषधीय व सगन्ध पादप पौधशाला विकसित करने के लिए चयनित किया जायेगा. यह प्रकोष्ठ विकास प्रकोष्ठ (Development Compartment) कहलायेगा जिसकी स्थापना रेंज के नजदीक, ग्रामीणों के निकट अथवा सड़क के पास की जायेगी जिससे कृषिकरण के लिए बीज पौध आसानी से मनुष्य तक पहुंचाया जा सके. इस प्रकार प्रत्येक प्रकोष्ठ के छोटे से भाग को पौधशाला के रूप में विकसित किया जायेगा. पौधशाला में वही औषधीय व सगन्ध पादपों को रखा जायेगा जो या तो क्षेत्रीय स्तर पर व्याप्त हों या आस पास के क्षेत्रों में उगाई जा सकती हों, यहां तक कि रेंज से लगे दूसरे प्रकोष्ठ में भी उगाई जा सकती हों. यह विकास प्रकोष्ठ कृषिकरण के लिए बीज पौध की आपूर्ति के मुख्य केन्द्र होंगे. यह पौधशालायें सम्बन्धित प्रजातियों के बीज पौध को प्राकृतिक क्षेत्रों से/ रिजर्व फॉरेस्ट से चुगान कर विभिन्न प्रकार की जड़े, कटिंग, बीज, पौध, रिसम आदि स्थानीय लोगों में कृषिकरण के लिए उपलब्ध करायेंगी. यह कार्य पूर्णतया विशेषज्ञों/ विभागीय देखरेख में होगा.

5.4 प्रत्येक रेंज के अन्य हिस्सों से औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र तथा विकास कम्पार्टमेन्ट के अतिरिक्त वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 24(RE-98)/ 1997–2002 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा प्रतिबन्धित/ नकारात्मक सूची के तहत सूचीबद्ध 29 प्रजातियों को छोड़कर अन्य सभी प्रजातियों का उत्तरांचल वन विकास

निगम तथा उनके संरक्षण में गठित समूह के द्वारा एकत्रीकरण किया जायेगा. भेदसूचक (Distinctive) एकत्रीकरण में सावधानी रखी जायेगी. इस प्रकार के प्रक्षेत्र को संरक्षण, विकास व उत्पादन योजना के तहत सम्बन्धित प्रजातियों के लिए उत्पादन प्रक्षेत्र (हार्वेस्ट कम्पार्टमेन्ट) माना जायेगा. त्वरित नक्शाकरण के कार्य के समय प्रत्येक प्रजाति के सम्बन्धित सम्पूर्ण सूचना यथा क्षेत्र में सम्भावित लाभकारी औषधीय व सगन्ध पादप, लगभग उपलब्ध मात्रा व वास्तविक जगह, नाम, मात्रा व क्षेत्र सम्बन्धित सूचनायें त्वरित नक्शाकरण कार्य का मुख्य हिस्सा होगा।

5.5 प्रत्येक रेंज में औषधीय एवं सगन्ध पादपों के संरक्षण, विकास व उत्पादन सम्बन्धी योजना नक्शे में औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्र व विकास प्रक्षेत्र (वास्तविक जगह व क्षेत्रों) को विभिन्न रंगों से जैसे एम.पी.सी.ए. को लाल रंग से, नर्सरी को हरे रंग, व उत्पादन प्रक्षेत्र को सफेद रंग से दर्शाते हुए योजना के साथ सलग्न करना होगा. इसके पश्चात यह योजना मोहर सहित सम्बन्धित रेंज अधिकारी व रेंज के वन दरोगा द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा. सम्बन्धित उप रेंज अधिकारी व वन दरोगा भी इसे हस्ताक्षर कर सकेंगे. यह अति आवश्यक होगा ताकि सभी रेंज अधिकारी योजना से पूर्णतया विज्ञ हों जैसे त्वरित नक्शाकरण कार्य (आर.एम.ई.) टोली में विभिन्न संस्थाओं के जितने भी विशेषज्ञ होंगे वे सभी अपने पदनाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे. प्रत्येक सी.डी.एच.योजना के साथ में संयुक्त आर.एम.ई. की रिपोर्ट आर.एम.ई. टीम के सदस्य नाम सहित, आर.एम.ई. सर्वेक्षण का समय तथा कार्यों यथा एम.पी.सी.ए., विकास प्रक्षेत्र व हर्बल उत्पादन/एकत्रीकरण प्रक्षेत्र के विवरण सहित संलग्न करना आवश्यक होगा. जिसमें आर.एम.ई. टीम द्वारा सम्पादित कार्यों की रिपोर्ट को रेंज अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्यों की रिपोर्ट को रेंज अधिकारी द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा. प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी अपने स्तर से रिपोर्ट को पूर्ण कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से प्रमुख वन संरक्षक को पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे. प्रत्येक रेंज के लिए सी.डी.एच. योजना के साथ–साथ प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी सभी रेंजो के लिए तैयार सी.डी.एच. योजना की एक प्रति वन विभाग के नोडल अधिकारी श्री एस.सी.चन्दोला, वन संरक्षक, मुनि की रेती, ऋषिकेश को भी भेजना सुनिश्चित करेंगे. जैसा कि पूर्व में कहा गया है, प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी वन संरक्षक के माध्यम से वर्किंग प्लान सर्किल व वर्किंग प्लान कोड में औपचारिकतायें पूर्ण करेंगे. वर्किंग प्लान कोड में आवश्यकता पड़ने पर वार्षिक अन्तर दर्ज करना होगा. नये वर्किंग प्लान में अब औषधीय व सगन्ध पादपों सम्बन्धी पाठ वर्किंग प्लान के द्वितीय भाग में अलग से सम्मिलित करना होगा. इसके तैयार करने में वर्किंग प्लान अधिकारी, प्रो.ए.एन.पुरोहित, एच.एन. भारतीय हेयर, एच. आर.डी.आई. श्रीनगर की सहायता प्राप्त कर सकते हैं या उनके द्वारा नामित विशेषज्ञ को भी इसमें शामिल किया जायेगा. यह कार्य वर्किंग प्लान वृत्त के संरक्षक के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा. प्रत्येक वन संरक्षक ग्राम वन/ संयुक्त वन प्रबन्धन के लिए भारत सरकार की निर्देशिका के आधार पर औषधीय व सगन्ध पादपों के लिए वृत्त में नई कार्ययोजना तैयार करवायेंगे. (कृपया भारत सरकार की निर्देशिका फरवरी, 2000 को भी देखें)

संयुक्त विदोहन टोली :

6. औषधीय व सगन्ध पादपों का सामुदायिक वन क्षेत्रों व प्राकृतिक वन क्षेत्रों से वैज्ञानिक विदोहन कर दीर्घकालीन व धारणीय (Sustainable) आर्थिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि सभी प्रभागीय वनाधिकारी प्रत्येक रेंज व प्रभाग के लिए सी.डी.एच. योजना के तैयार करने में व्यक्तिगत रूचि दिखायेंगे. इस सी.डी.एच. योजना को तैयार करना प्रभागीय वनाधिकारी व मुख्यालय पर तैनात अन्य अधिकारियों जैसे ए.सी.एफ. / एस.डी.ओ. के मुख्य क्रियाकलापों में सम्मिलित होगा. सभी कार्मिकों का इस योजना को तैयार

करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी अतः प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी को अपने अधीन कार्यालय/फील्ड में तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए कार्यों का निर्धारण सावधानीपूर्वक तय करना होगा.

7. उपरोक्त सीडी.एच. योजना में वर्णित औषधीय व सगन्ध पादपों के वैज्ञानिक व लगातार एकत्रीकरण के लिए उत्तरांचल वन विकास निगम के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा जिसके साथ विशेषज्ञता सहकारिता की जड़ी बूटी योजना के प्रशिक्षित व्यक्ति, शीर्ष क्रियान्वयन संस्था एच.आर.डी.आई. के वैज्ञानिकों द्वारा दी जायेगी. उत्तरांचल वन विकास निगम अपने कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से सम्पादित करेगा साथ ही यह अनुसंधान व विकास सम्बन्धी योजनाओं जैसे वनस्पति वन, हर्बल गार्डन, केन्द्रीय पौधशाला आदि की स्थापना भी करेगा. निगम तुरन्त अनुसंधान व विकास सम्बन्धी शाखा की स्थापना करें जो औषधीय व सगन्ध पादपों के विकास सम्बन्धी व कार्बनिक/ वानस्पतिक रस रोगन के निर्माण का कार्य करेगी.

8. प्रबन्ध निदेशक, यू.एफ.डी.सी. औषधीय व सगन्ध पादप के अनुसंधान हेतु शाखा खोलने बावत आदेश जारी करेंगे जिसमें वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को पादपों की पहचान, विकास, बाजार, कार्बनिक रस रोगन तैयार करने आदि में प्रशिक्षण प्रदान करना भी आवश्यक होगा. प्रो. ए.एन.पुरोहित व एच.आर.डी.आई. के वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता भी वन विकास निगम को उपलब्ध करा दी जायेगी. संस्थान के वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता व्यावसायिकता के तौर पर उपलब्ध कराने की शर्तें निदेशक, एच.आर.डी.आई. व प्रबन्ध निदेशक, वन विकास निगम तुरन्त तय करेंगे. इस प्रकार इस शाखा को प्रमुख वन क्षेत्रों व सामूहिक वन क्षेत्रों से प्रजातियों के एकत्रीकरण को भी अन्तिम रूप प्रदान करेंगे.

9. प्रत्येक वन प्रभाग के लिए संयुक्त एकत्रीकरण दल का गठन किया जायेगा जो वर्ष भर प्रभाग के अन्तर्गत कार्य करेगें. प्रत्येक प्रभागीय वनाधिकारी, रेंज अधिकारी अथवा उप रेंज अधिकारी को नामित करेंगे जबकि वन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक रेंज टीम के संयुक्त मुखिया जो डिविजनल लौगिंग अधिकारी या उसके उप से कम रैंक का न हो, को नामित करेंगे. इस संयुक्त दल में तकनीकी सदस्य के रूप में भेषज संघ अथवा एच.आर.डी.आई. द्वारा नामित सदस्य होगा. सम्पूर्ण एकत्रीकरण संयुक्त दल के निर्देशन में सम्पादित होगा. दल के सदस्य यह तय करेंगे कि एकत्रीकरण केवल सीडी.एच. योजना के तहत चयनित क्षेत्रो से ही किया जाए. एकत्रीकरण केवल वन विकास निगम के नियमित कार्मिकों के माध्यम से होगा. यदि आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य व्यक्ति को एकत्रीकरण में शामिल किया जाता है तो यह एकत्रीकरण संयुक्त दल द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जायेगा. प्रत्येक एकत्रीकरण कर रहे व्यक्ति के पास उसका सत्यापित पहचान पत्र होगा.

10. औषधीय व सगन्ध पादपों का उपरोक्त माध्यमों से एकत्रीकरण करने के पश्चात वन विकास द्वारा, गठित उत्तरांचल राज्य विदोहन समिति द्वारा नामित संस्था के माध्यम से निविदा जारी की जायेगी. नामित संस्था के माध्यम से राज्य विदोहन समिति एकत्रीकरण, ग्रेडिंग, भण्डारण, ट्रान्सपोर्ट आदि की शर्तें व दशा तय करेगा. राज्य विदोहन समिति द्वारा रॉयल्टी की दरें भी तय की जायेंगी जिसको प्रजाति की बाजार में वर्तमान दरों के आधार पर तय किया जायेगा.

(डा.आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, उद्यान
2. सचिव, सहकारिता
3. सचिव, बायो-टैक्नोलॉजी एवं नियोजन
4. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण

5. प्रमुख सचिव, वित्त एवं संस्थागत वित्त
6. प्रमुख सचिव, उद्योग
7. कार्यकारी निदेशक, [illegible]
8. सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क
9. प्रो. ए.एन.पुरोहित, एम.एल. भारतीय नेगर, एन.आर.डी.आई.
10. डा. एल.एम.एस.पालनी, वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार एवं परियोजना निदेशक, बायोटेक्नोलाजी

(डा.आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित
1. मुख्य सचिव
2. निजी सचिव मा.वन मंत्री
3. निजी सचिव, मा. सहकारिता मंत्री
4. निजी सचिव, मा. उद्योग मंत्री
5. निजी सचिव, मा. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
6. प्रमुख सचिव, मा.मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ

(डा.आर.एस.टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास